


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर कार्यालय आदेश

इस कार्यालय आदेश क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना/स्थाना./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री दयाराम यादव, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छाजा की नांगल जिला सीकर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खिंचेरा, लूणकरनसर जिला बीकानेर एवं श्री रामावतार यादव, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नानेऊ ढाणी, विजयनगर जिला जोधपुर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छाजा की नांगल जिला सीकर स्थानान्तरित किया गया था।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छाजा की नांगल जिला सीकर में कार्यरत प्रधानाचार्य श्री दया राम यादव के माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर से एस.बी.सिविल याचिका संख्या 13614/2018 दया राम यादव बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में अन्तरिम स्थगनादेश प्राप्त होने के फलस्वरूप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छाजा की नांगल, सीकर में दोहरे पदस्थापन की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

अतः माननीय न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन श्री दयाराम यादव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छाजा की नांगल जिला सीकर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहेंगे एवं दोहरे पदस्थापन के मद्देनजर श्री रामावतार यादव, प्रधानाचार्य का अन्तरिम समायोजन माननीय न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खिंचेरा, लूणकरनसर जिला बीकानेर में प्रधानाचार्य के पद पर किया जाता है।




(नथमल डिंडेल)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा./संस्था/बी-2/दयाराम/एसबीसिया/13614/2018 दिनांक 04.10.2019
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर। 21. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरु/बीकानेर संभाग, बीकानेर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बीकानेर/सीकर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) बीकानेर/सीकर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि) जयपुर।
6. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित कार्मिक/अपीलार्थी



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)